राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(101)ग्राविवि–5/PMAYG/S.N./विविध/2017-18 जयपुर दिनांकः– 18 अक्टूबर, 2019

–:विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यवाही विवरण:–

विभागिय विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सूचना दिनांक 15.10.2019 के क्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रावि एवं परावि की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अधिशाषी अभियन्ता, अभियांत्रिकी/आवास प्रभारी एवं परियोजना अधिकारी लेखा जिला परिषद समस्त के साथ दिनांक 16.10.2019 को सांय 4 बजे से 5 बजे तक विभागीय बैठक हॉल, ग्रामीण विकास विभाग सचिवालय, जयपुर में विडियो कॉन्फ्रेस आयोजित की गयी।

उक्त विडियो कॉन्फ्रेंस में योजनान्तर्गत ऐजेण्डावार विस्तृत चर्चा/समीक्षा उपरान्त निम्नानुसार निर्णय/निर्देश प्रदान किए गये।

बिन्दु संख्या 1 :– वर्ष 2019–20 के आवंटित लक्ष्यानुसार स्वीकृतियां एवं प्रथम किस्त जारी कराने के संबंध में :–

- वर्ष 2019–20 हेतु लक्ष्यानुसार शतप्रतिशत स्वीकृतियां 30 सितम्बर, 2019 तक जारी करने हेतु निर्देशित किया गया था लेकिन अभी भी जिलों द्वारा शतप्रतिशत स्वीकृतियां जारी नहीं की गई है। उक्त संबंध में समीक्षा उपरान्त दिनांक 20.10.19 तक शतप्रतिशत स्वीकृतियां जारी कराकर महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत मस्टररोल जारी कराकर आवास निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया।

- वर्ष 2019–20 हेतु जिलों को आवंटित लक्ष्य में संशोधन(अतिरिक्त माँग/कमी) हेतु प्रस्ताव विभाग को दिनांक 17.10.19 तक भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

- वरीयता क्रम में शामिल अपात्र लाभार्थियों को रिमाण्ड मॉड्यूल के माध्यम से हटाये जाने के क्रम में ग्राम पंचायतवार वर्गवार जारी स्वीकृत एवं वर्गवार वरीयता में छोडे गये परिवारों को समीक्षा कर ग्रामसभा में अनुमोदन कराकर रिमाण्ड मॉड्यूल पर दर्ज करवाया जावे।

बिन्दु संख्या 2 :– योजना की स्थाई वरीयता सूची में शामिल भूमिहीन पात्र परिवारों को भूखण्ड आवंटन/पट्टे जारी किये जाने के संबंध में :–

- पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 15.08.2019 से 02.10.2019 तक महात्मा गांधी ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन प्रस्तावित है, उक्त शिविरों के दौरान योजना की स्थाई वरीयता सूची में शामिल शेष रहे भूमिहीन पात्र परिवारों को नियमानुसार भूखण्ड आवंटन/पट्टे जारी करने की प्रगति प्रेषित करने एवं शेष परिवारो को प्राथमिकता से पट्टो को भी शीघ्र जारी कराने हेतु निर्देशित किया गया।

बिन्दु संख्या 3 :– प्रशासनिक मद से भुगतान के संबंध में ।

- जिला स्तर पर अवशेष राशि राज्य स्तरीय नोडल अकाउन्ट में दिनांक 17.10.19 तक जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही आवास सॉफ्ट में प्रशासनिक मद हेतु जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर से को लॉगिन आईडी से रजिस्टर, एनरॉल एवं एक्टिव करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त संबध में निर्देशानुसार उक्तानुसार कार्यवाही /अवशेष राशि जमा नहीं

होने पर AFMS प्रणाली से भुगतान प्रभावी नहीं हो सकेगा, जिसके लिए जिला स्वयं जिम्मेदार होगा।

- इसी क्रम में DPMU सेल हेतु माह फरवरी 2019 तक भारित किये जाने वाली राशि की सूचना निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 21.10.19 तक विभाग को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

बिन्दु संख्या 4 :– रिमाण्ड मॉड्यूल के संबंध में:–

- जिले द्वारा अपलोड किए गये निर्माण मॉड्यूल के प्रकरणों को राज्य स्तर से सत्यापन उपरांत उक्त प्रकरणों को पंचायत स्तर से ग्रामसभा में अनुमोदन करवाकर ग्रामसभा की कार्यवाही विवरण के साथ अपलोड करें।

बिन्दु संख्या 5 :– मैसन प्रशिक्षण आयोजित किए जाने के संबंध में:–

- मैसन प्रशिक्षण हेतु जारी करने से शेष रहे जिलों को अतिशीघ्र जारी कर, कार्यादेश जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अन्त में विडियो कॉन्फ्रेंस बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(जयपाल सिंह मेडतिया)
स्टेट नोडल अधिकारी, PMAYG

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि. एवं पंरावि.
2 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि।
3 वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग।
4 जिला कलक्टर, जिला समस्त।
5 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।

स्टेट नोडल अधिकारी, PMAYG